लोक शिक्षण संचालनालय,
मध्यप्रदेश

कमांक/मान्यता/नि.वि.फीस/पी/2024–25/1794 भोपाल, दिनांक 29-10-2024

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश

विषयः मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम–2020 के तहत निजी विद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिये नियत की गई फीस संरचना (कक्षावार एवं संवर्गवार विभिन्न मदों में) की जानकारी पोर्टल पर प्रविष्ट/अपलोड करने बावत्।

संदर्भः–संचालनालय का पत्र कमांक/विद्या/नि.वि. फीस/पी/422/2022/1797 दिनांक 15/09/2022 एवं पत्र कमांक/विद्या/नि.वि. फीस/पी/422/2023–24/291 दिनांक 08/02/2024।

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियम) अधिनियम–2017 एवं नियम–2020 क्रमशः दिनांक 25/01/2018 एवं दिनांक 02/12/2020 को अधिसूचित किये गये हैं। उक्त अधिनियम एवं नियम अधिसूचना दिनांक से प्रवृत्त होकर लागू हैं। उक्त के क्रियान्वयन हेतु संदर्भित पत्र के माध्यम से विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं।

मध्यप्रदेश के निजी विद्यालयों को मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियम) नियम–2020 के नियम– 3 के उपनियम 1,2,3 एवं 4 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025–26 की जानकारी पोर्टल पर प्रविष्ट/अपलोड करने हेतु, पोर्टल दिनॉक 30.10.2024 से 31.03.2025 तक खोला जा रहा है।

अतः निर्देशित किया जाता है, कि मध्यप्रदेश में समस्त बोर्ड (माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश, सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई, भारतीय शिक्षा बोर्ड एवं अन्य बोर्ड) से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, नियम–2020 के नियम– 3 के उपनियम 1,2,3 एवं 4 का पालन सुनिश्चित करेंगे।

<u>आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

(के.के.द्विवेदी)
संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0कमांक/मान्यता/नि.वि.फीस/पी/422/2023–24/1795 भोपाल, दिनांक 29-10-2024

प्रतिलिपिः

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

3. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, सतपुडा भवन, भोपाल
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, भोपाल।
5. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. समस्त बोर्ड (माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश, सी.बी.एस.ई. आई सी.एस.ई., भारतीय शिक्षा बोर्ड एवं अन्य बोर्ड) से मान्यता प्राप्त समस्त निजी विद्यालय मध्यप्रदेश ।
7. श्री आनंद मिश्रा, परियोजना प्रबंधक (मोबा. नं. 8319129439) एवं श्री शुभम सेन, परियोजना समन्वयक (मोबा.नं. 8359014228) की ओर सूचनार्थ एवं निजी विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिये नियत की गई फीस संरचना (कक्षावार एवं संवर्गवार विभिन्न मदों में) की जानकारी प्रविष्ट/अपलोड करने हेतु पोर्टल खोले तथा निजी विद्यालयों को वेबसाइट पर आने वाली किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या अथवा प्रक्रियात्मक जानकारी देने हेतु प्रेषित।

संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश